कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा / माध्य / निप्र / डी–I / 21901 / पप / 2019 / दिनांक : 22.02.19

अत्यावश्यक

1. **समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।**
2. **समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।**
3. **समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।**

विषय :– ''बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्य योजना– 2019'' की क्षेत्राधिकार में प्रभावी एवं सार्थक क्रियान्विति बाबत्।

प्रसंग :– समसंख्यक निर्देश परिपत्र दिनांक : 15.01.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक निर्देशों के क्रम में लेख है कि विगत वर्षों में शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु सतत् प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप राजकीय विद्यालयों के बोर्ड परीक्षा परिणाम में उत्तरोतर सुधार परिलक्षित हुआ है। इस वर्ष भी डी.पी.सी., सीधी भर्ती एवं 6–डी प्रक्रिया द्वारा राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरे जाने तथा विद्यालय प्रबन्धन में सहभागिता हेतु अभिभावकों की विभिन्न कार्यक्रम / गतिविधियों द्वारा विद्यालय संचालन में भागीदारी जैसे नवाचारों के प्रतिफल में दर्शित सकारात्मक एवं अनुकूल शैक्षिक परिदृश्य के परिणामस्वरूप राजकीय विद्यालयों के बोर्ड परीक्षा परिणाम में संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि अपेक्षित है। उक्त प्रत्याशा में कार्यालय हाजा के प्रासंगिक परिपत्र द्वारा ''बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्य योजना–2019'' के फील्ड में सार्थक एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तरीय कार्यालयों को प्रभावी पर्यवेक्षण एवं सघन निरीक्षण अभियान संचालित कर अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति की सुनिश्चितता हेतु पाबन्द किया गया है। विभागीय परिवीक्षण अधिकारियों के प्रेक्षण में उक्त कार्य योजना की फील्ड में क्रियान्विति में ढिलाई तथा उक्त कार्य योजना में निर्देशित प्रबोधन एवं सम्बलन में अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपेक्षित उत्साह का अभाव पाया गया है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में ब्लॉक, जिला एवं सम्भाग स्तरीय समस्त शिक्षाधिकारियों को अग्रांकित निर्देशों के दृष्टव्य अधीनस्थ कार्यालयों के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकार के विद्यालयों को वांछित सम्बलन प्रदान कर आगामी माह आयोज्य बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु पूर्वोल्लेखित कार्य योजना में निर्दिष्ट समय सारणी एवं प्रदत्त निर्देशों की पालना एवं क्रियान्विति सुनिश्चित करवाएं :–

1. इसी माह में प्री–बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित शैक्षिक लब्धि / काठिन्य अनुरूप उपचारात्मक कक्षाओं की अतिरिक्त व्यवस्था करावें।
2. विद्यार्थियों के विषयवार काठिन्य के आधार पर विद्यालय में ''सुपरवाइज्ड स्टडी'' (सम्बन्धित विषयाध्यापक द्वारा विद्यार्थी को सम्मुख बैठाकर) की व्यवस्था करावें।

समस्त सम्बन्धितों द्वारा उपर्युक्त निर्देशों की पालना सर्वोच्च प्राथमिकता से की जावे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
3. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
4. समस्त संस्था प्रधान, रामावि / राउमावि, जरिए : शाला दर्पण पोर्टल।
5. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

E:\Genral letter.docx

256